



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052020-219371
CG-DL-E-14052020-219371

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2020/वैशाख 24, 1942
No. 221]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2020/VAISAKHA 24, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2020

सं. 01/2020 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे)

सा.का.नि. 295(अ).—वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 132 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, सब का विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा –

- इन नियमों को सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम (संशोधन) नियम 2020 कहा जाएगा।
 - ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम नियमों, 2019 (एतस्मिन् पश्चात इसे उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 6 में-
 - उपनियम (2) में इन शब्दों— “घोषणा प्राप्त किए जाने की तारीख के साठ दिनों की अवधि के अंदर” के स्थान पर “मई 2020 के 31वें दिन अथवा उससे पहले” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- ii) **उपनियम 3 में इन शब्दों** – “नियम (3) के उपनियम (1) के तहत घोषणाप्राप्त होने की तारीख के तीस दिनों के अंदर” के स्थान पर “मई 2020 के पहले दिन (1.05.2020) अथवा उससे पहले” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 7 में इन शब्दों – “इसके जारी होने की तारीख के तीस दिनों के भीतर” के स्थान पर “जून 2020 के 30वें दिन अथवा उससे पहले ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 267/50/2020-सी एक्स-8]

गौरव सिंह, उप-सचिव

नोट – मुख्य नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या सा.का.नि. 588 (अ), दिनांक 21 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2020

No. 01/2020-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 295(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 132 of the Finance (No.2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019, namely:-

1. (i) These rules may be called the Sabka Vishwas (legacy Dispute Resolution) Scheme (Amendment) Rules, 2020.
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the official gazette.
2. In the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6,-
 - (i) In sub-rule (2) for the words “within a period of sixty days from the date of receipt of the declaration”, the words, figures and letters “on or before the 31st day of May, 2020” shall be substituted;
 - (ii) In sub-rule (3), for the words “within thirty days of the date of receipt of the declaration under sub-rule (1) of rule 3”, the words, figures and letters “on or before the 1st day of May, 2020” shall be substituted;
3. In the said rules, in rule 7, for the words “within a period of thirty days from the date of its issue” , the words, figures and letters “on or before the 30th day of June, 2020” shall be substituted.

[F. No. 267/50/2020-CX-8]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note:-The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 588(E), dated the 21st August, 2019.